भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1375

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की अवसंरचनात्मक सहायता

1375. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सृजित की गई/प्रदान की गई अवसंरचनात्मक और प्रशासनिक सहायता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का योजना की विभिन्न पहलों के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के माध्यम से निजी क्षेत्र को शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार ने गरीबों और डिजिटल सुविधाओं से वंचित लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (च) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) (जिसे पहले राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता था) का शुभारंभ सितंबर, 2021 में किया गया था। एबीडीएम का उद्देश्य स्वास्थ्य

पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में स्वास्थ्य डेटा की अंतःक्रियाशीलता समर्थित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाना है। इस मिशन का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) तैयार करना है।
एबीडीएम में देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करने की परिकल्पना की गई है। मिशन के मुख्य घटकों में नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए), स्वास्थ्य पेशेवर पंजीकरण (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण (एचएफ़आर) और एबीएचए अनुप्रयोग शामिल हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) के तहत अंतःक्रियाशील (इंटरऑपरेबल) डिजिटल प्लेटफॉर्म और कुछ मॉड्यूल्स के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया गया है और एबीडीएम के उद्देश्यों के अनुरूप इनको चिह्नित किया गया है। प्रशासनिक सहायता के लिए एबीडीएम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति, सैंडबॉक्स दिशा निर्देश, स्वास्थ्य सूचना प्रदाता दिशा निर्देश आदि जैसे विभिन्न नीतिगत ढांचे तैयार किए गए हैं और जारी किए गए हैं। एनएचए सभी हितधारकों के समाधानों को एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र के तहत एकीकृत करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण सहित आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

एबीडीएम के तहत स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के आईटी समाधानों को देश भर में ईएचआर के निर्माण में सहायता के लिए सैंडबॉक्स पर्यावरण के माध्यम से एकीकृत किया गया है।

सरकार ने प्रत्येक नागरिक तक मिशन के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। समावेशन एबीडीएम के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। एबीडीएम द्वारा सृजित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में सहज तरीके से देखभाल की निरंतरता का समर्थन करता है। यह विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन आदि जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकीय कार्यकलापों के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की उपलब्धता में सहायता करता है।

*****